भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 979

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

ऑटोमोबाइल वाहनों के सुरक्षा मानक

979. श्री एम पी वीरेन्द्र कुमार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रयोग में लाए जा रहे अधिकतर ऑटोमोबाइल वाहन सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जिम्मेदारी तय की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि सरकार ने अधिसूचना संख्या एसओ 1139(ई) दिनांक 28.04.2015 और एसओ 2412(ई) दिनांक 03.09.2015 के द्वारा नए वाहनों के लिए अनेक सुरक्षा मानक आरंभ किए हैं।

सरकार ने अनेक सुरक्षा मानक तैयार किए हैं जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989(सीएमवीआर) के तहत ऑटोमोटिव उद्योग मानकों (एआईएस) में शामिल हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के 126 के तहत प्रावधान है कि ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स के अलावा प्रत्येक मोटर वाहन विनिर्माता को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के उपबंधों का अनुपालन करने हेतु प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट किसी भी एजेंसी द्वारा परीक्षण हेतु उनके द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सीएमवीआर, 1989 नियम 126क मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेंसियों को अधिदेशित करता है कि वे विनिर्माता की उत्पादन लाइन से लिए गए वाहनों पर परीक्षण करें ताकि यह सत्यापित किया जा सके की ये वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110 के तहत नियमों के उपबंधों का पालन कर रहे हैं।

सीएमवी अधिनियम और सीएमवी नियमों के उपबंधों को लागू करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

****